



प्रेसनोट, दिनांक 03.03.2026  
थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव

## आवेदक के खाते में 95,000/- रुपये कराये गये रिफण्ड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा आवेदक के खाते में 95,000/- रुपये रिफण्ड कराये गये।

**संक्षिप्त विवरण** – दिनांक 26.12.2025 को वादी श्री रोहित कुमार पुत्र रामशंकर निवासी कुरौली थाना हसनगंज जनपद उन्नाव के खाते से फोन हैक करके आरोपी द्वारा 95000/- रुपये का फ्राड कर लिया गया। जिस सन्दर्भ में थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0-485/2025 धारा-318(4),319(2) BNS व 66 IT Act. पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 03.03.2026 को थाना हसनगंज साइबर टीम द्वारा सम्बन्धित बैंक से उचित माध्यम से पत्राचार कर आवेदक उपरोक्त के खाते में 95,000/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि रिफण्ड करायी गयी।

## **कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री शरद कुमार
2. अपराध निरीक्षक श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह
3. एएसआई श्री रोहित भट्ट
4. का0 प्रवीण कुमार
5. म0का0 काजल तोमर



प्रेसनोट, दिनांक 03.03.2026  
थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव

## अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण –** आज दिनांक 03.03.2026 को उ०नि० श्री पुरुषोत्तम दास मय हमराह पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रिन्स दीक्षित पुत्र हीरा दीक्षित उम्र करीब 22 वर्ष निवासी सातन थाना बीघापुर जनपद उन्नाव के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर मैकू तेली मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बीघापुर पर मु०अ०सं० 46/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम प्रिंस उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

प्रिन्स दीक्षित पुत्र हीरा दीक्षित उम्र करीब 22 वर्ष निवासी सातन थाना बीघापुर जनपद उन्नाव

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० श्री पुरुषोत्तम दास
2. का० रोहन
3. का० प्रतीक कुमार
4. का० विकल कुमार

